79

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-498-दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 02-01-06 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण क्रमांक 334/अपील/1991-92

.....

1- विजय बहादुर सिंह तनय स्व. दलप्रताप सिंह
निवासी-ग्राम पल्हान तहसील सिरमौर,
जिला-रीवा(म.प्र.)

2- श्रीमती श्यामकली पुत्री स्व. दलप्रताप सिंह
पत्नी उदयभान सिंह
निवासी- ग्राम सुजवार, तहसील सिरमौर
जिला-रीवा (म.प्र.)

----------आवेदकगण

विरूद्ध

१- गणेश प्रताप सिंह तनय स्व. दलप्रताप सिंह
२- महेश प्रताप सिंह तनय स्व. दलप्रताप सिंह
३- श्रीमती कृष्ण दुलारी पत्नी श्री गणेश सिंह
निवासीगण-ग्राम पल्हान तहसील सिरमौर,
जिला-रीवा(म.प्र.)
४- शासन मध्यप्रदेश

----------अनावेदकगण

.....

श्री डी.के. चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 06-04-18 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-01-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 03 कृष्णा दुलारी द्वारा प्रश्नाधीन आराजी को 96000/- हजार रूपये में पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 11-06-90 को आवेदकगण के पिता दलप्रताप से क्रय की थी। इसके पश्चात उसके द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जिस पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 04-09-91 से अनावेदिका कृष्ण दुलारी का नामांतरण स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण के पिता दलप्रताप सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 16-04-92 से स्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने आदेश दिनांक 02-01-2006 से अपील को निरस्त किया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदिका कृष्णा दुलारी द्वारा दिनांक 11-06-90 को प्रश्नाधीन भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने के उपरांत आधार पर नामांतरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दलप्रताप द्वारा 19-09-90 को नामांतरण

हेतु सहमति दी थी। सहमति के आधार पर ही अनिावेदिका के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया था । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व न्यायालय में नामांतरण करने हेतु बाध्य है। इसी कारण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में कोई वैधानिक त्रुटी प्रकट नहीं होती । जहॉ तक आवेदकगण के तर्क का प्रश्न है कि पंजीकृत विक्रय पत्र फर्जी एवं कूटरचित है। ऐसी स्थिति में उसे सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिये थी। तहसीलदार के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पारित नामांतरण आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा उचित माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जिसमें हस्तक्षेप का आधार प्रकट नहीं होता । आवेदकगण चाहे तो समक्ष न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है ।

5/ उपरोक्त् विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-01-2006 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस.एस. अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,